

तत्काल

फा.सं. यू-12012/38/2022-एनई  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(एनई अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 1.12.2023

सूचना

विषय: विधेयक (राष्ट्रीय महत्व के स्वास्थ्य संस्थान विधेयक, 2003) का प्रारूप-संबंधी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय महत्व के स्वास्थ्य संस्थान विधेयक, 2023 नामक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है। विधेयक का प्रारूप (प्रतिलिपि: संलग्न) एनईआईजीआरआईएचएमएस, शिलांग और एनएएमओ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने और एनएएमओ चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को संसद में विधेयक का पुरःस्थापन करके स्वायत्ता प्रदान करने के लिए है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित विधेयक को समृद्ध बनाने के लिए आम जनता/हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां/आपत्तियां प्राप्त की जाएं। यह टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर ई-मेल द्वारा [anuradha.ramakrishan@nic.in](mailto:anuradha.ramakrishan@nic.in) को भेजी जा सकती हैं।

संलग्नक: यथोक्त

अनुराधा. आर.के.  
01/12/23

(अनुराधा रामकृष्णन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23061640

ई-मेल आईडी: [anuradha.ramakrishan@nic.in](mailto:anuradha.ramakrishan@nic.in).

# राष्ट्रीय महत्व की स्वास्थ्य संस्थाएं विधेयक, 2023

स्वास्थ्य से संबंधित कतिपय क्षेत्रीय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं  
घोषित करने और उसके निगमन तथा उससे संबंधित  
या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित  
हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महत्व की स्वास्थ्य संस्थाएं अधिनियम,  
2023 है ।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत  
करे ।

कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित किया जाना ।

2. इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर प्रादेशिक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग और एनएएमओ, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, सिलवासा के रूप में ज्ञात संस्थानों के उद्देश्य ऐसे हैं जो उन्हें एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, अतः, यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संस्था राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “विद्यमान संस्थान” से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित संस्थान अभिप्रेत है ;

(ख) “निधि” से धारा 16 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(ग) “शासी निकाय” से संस्थान का शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(घ) “संस्थान” से अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित और इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थान अभिप्रेत है ;

(ङ) “सदस्य” से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है ;

(च) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) “विनियम” से संस्थान द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ;

(झ) “अनुसूची” से इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

संस्थान की  
स्थापना  
और  
निगमन ।

4. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से प्रत्येक विद्यमान संस्थान उसी नाम से एक निगमित निकाय होगा जो अनुसूची के स्तंभ (3) में, यथाउल्लिखित है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य स्थानों पर ऐसे अन्य संस्थानों को जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्थापित कर सकेगी और प्रत्येक ऐसी संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था समझी जाएगी ।

(2) प्रत्येक संस्था अनुसूची के स्तंभ (3) में, उल्लिखित स्थान पर अवस्थित होगी ।

(3) प्रत्येक संस्था पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगी और जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने के लिए, इन अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके पास शाश्वत् उत्तराधिकार और शक्ति के साथ एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

संस्थान के  
निगमन का  
प्रभाव ।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से,—

(क) इस अधिनियम के सिवाय किसी अन्य विधि में या किसी संविदा या अन्य लिखत में विद्यमान संस्थान को कोई संदर्भ तत्स्थानी संस्थान को संदर्भ समझा जाएगा ;

(ख) किसी विद्यमान संस्थान की या उससे संबंधित सभी संपत्ति, जंगम और स्थावर, तत्स्थानी संस्थान में निहित होगी ;

(ग) विद्यमान संस्थान के सभी अधिकार और दायित्व तत्स्थानी संस्थान को अंतरित

हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे ;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति (जिसमें निदेशक, अधिकारी और अन्य कर्मचारीगण भी शामिल हैं) जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तत्काल पूर्व विद्यमान संस्थान में नियोजित हैं, ऐसे प्रारंभ से तत्स्थानी संस्थान के कर्मचारी हो जाएंगे और उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा उसी अधिकार और विशेषाधिकार जैसे पेंशन, छुट्टी, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और अन्य मामले के साथ उसमें अपना पद और सेवा इस प्रकार धारण करेंगे जैसे वह इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर धारण करते थे, मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो और तब तक ऐसे करते रहेंगे जब तक उनका नियोजन समाप्त न कर दिया गया हो या जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन तथा शर्तें विनियमों द्वारा सम्यक् परिवर्तित न कर दी गई हो :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके अहित के लिए परिवर्तित नहीं की जाएंगी ।

(ङ) किसी विद्यमान संस्थान का शासी बोर्ड या शासी परिषद् इस अधिनियम के अधीन उसके निगमन की तारीख से तत्काल समाप्त हो जाएगा और कोई अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति अपने पद की अवधि के समय-पूर्व समाप्ति के लिए या सेवा की किसी संविदा की समाप्ति के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ;

(च) किसी विद्यमान संस्थान की कार्यपालक समिति या कार्यपालक परिषद् धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन शासी निकाय के गठन की तारीख से तत्काल समाप्त हो जाएंगी और कोई अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति अपने पद की अवधि के समय-पूर्व समाप्ति के लिए या सेवा की किसी संविदा की समाप्ति के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ;

(छ) किसी विद्यमान संस्थान की सभी समितियां (जिसमें स्थायी समिति भी शामिल है, यदि कोई हो) तत्काल समाप्त हो जाएंगी ;

(ज) किसी विद्यमान संस्थान द्वारा चिकित्सा डिग्रियों और डिप्लोमों को देने के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए कराई गई कोई परीक्षा विधिमान्य परीक्षा होगी और तत्स्थानी संस्थान द्वारा कराई गई समझी जाएंगी ।

1947 का 14

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संस्थान द्वारा किसी कर्मचारी का उसकी नियमित सेवा में आमेलन ऐसे कर्मचारी को इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर के लिए हकदार नहीं बनाएगी और ऐसा दावा किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

संस्थान की संरचना ।

6. (1) प्रत्येक संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विद्यमान संस्थान के मामले में, अर्थात् :—

(i) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर प्रादेशिक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग, उस राज्य में जिसमें संस्थान स्थापित है, में स्थित विश्वविद्यालय का कुलपति केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाएं, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ii) एनएएमओ आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधार संस्थान सिलवासा, दादर और नागर हवेली और दमण और दीव का प्रशासक, पदेन ;

(ख) सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन ;

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, पदेन ;

(घ) संस्थान का निदेशक, पदेन ;

(ङ) सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन ;

(च) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, पदेन ;

(छ) पांच व्यक्ति जिनमें से एक व्यक्ति भारतीय विज्ञान कॉंग्रेस एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाला गैर-चिकित्सा वैज्ञानिक जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो विहित की जाएं ;

(ज) भारतीय विश्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान संकायों के चार प्रतिनिधि जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो विहित की जाएं ;

(झ) दो संसद सदस्य, जिनमें से एक संसद सदस्य, लोक सभा सदस्यों द्वारा अपने बीच में से और एक सदस्य राज्य सभा सदस्यों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे ;

(2) यह घोषित किया जाता है कि संस्थान के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करेगा ।

7. (1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, किसी सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन या निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी ।

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित संसद सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह उस सदन का सदस्य नहीं रहता है, जिससे वह निर्वाचित हुआ था, उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी ।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को, जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारण किए रहता है ।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित किसी सदस्य की पदावधि, उस सदस्य की शेष पदावधि तक बनी रहेगी, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित या निर्वाचित हुआ है ।

(4) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के खंड (i) के अधीन निर्वाचित किसी सदस्य से भिन्न कोई पद छोड़ने वाला सदस्य और पदेन सदस्य, जब तक संस्थान का अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट न किया जाए ।

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियां ।

(5) पद छोड़ने वाला कोई सदस्य पुनः नामनिर्देशन या पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा ।

(6) कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, किंतु वह उस सरकार द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने तक पद पर बना रहेगा ।

(7) सदस्यों के बीच रिक्तियां भरे जाने की रीति वह होगी, जो विहित की जाएं ।

**8.** (1) प्रत्येक संस्थान का एक अध्यक्ष होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थान के निदेशक से भिन्न अन्य सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य ।

(2) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो इस अधिनियम में अधिकथित किए गए हैं या जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं या विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

**9.** अध्यक्ष और सदस्य (निर्वाचित संसद सदस्यों के सिवाय) संस्थान से ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते ।

परन्तु यदि, कोई व्यक्ति दो या अधिक संस्थानों का अध्यक्ष है तो भत्ते संस्थान द्वारा उस अनुपात में वहन किए जाएंगे जो विहित किए जाएं ।

**10.** प्रत्येक संस्थान अपनी पहली बैठक ऐसे समय और स्थान पर करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाए और पहली बैठक में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा, जो उस सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं तथा तत्पश्चात्, प्रत्येक संस्थान ऐसे समयों और स्थानों पर अपनी बैठकें करेगा और अपनी बैठकों में गणपूर्ति सहित कारबार के संव्यवहार के संबंध ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

संस्थान की बैठकें ।

**11.** (1) संस्थान का एक पृथक् शासी निकाय होगा जो प्रत्येक संस्थान द्वारा ऐसी रीति में गठित किया जाएगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

संस्थान का शासी निकाय और अन्य समितियां ।

(2) शासी निकाय प्रत्येक संस्थान का कार्यपालक समिति होगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो वह संस्थान इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(3) प्रत्येक संस्थान का अध्यक्ष शासी निकाय का सभापति होगा और उसके सभापति के रूप में वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि तथा उनकी रिक्तियां भरे जाने की रीति ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) प्रत्येक संस्थान, ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उतनी स्थायी समितियां और उतनी तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा, जितनी वह संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे विषय में, जो संस्थान उन्हें निर्दिष्ट करे, जांच करने या उस पर रिपोर्ट करने या सलाह देने के लिए ठीक समझे ।

(6) शासी निकाय का सभापति और उसके सदस्य तथा किसी स्थायी समिति या तदर्थ

समिति का सभापति और उसके सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

संस्थान के  
कर्मचारिवृन्द ।

**12.** (1) प्रत्येक संस्थान का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जिसे ऐसे संस्थान के निदेशक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, संस्थान द्वारा की जाएगी :

परन्तु संस्थान के प्रथम निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी ।

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तत्काल पूर्व निदेशक के रूप में पद धारण करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, ऐसा निदेशक संबंधित संस्थान का प्रथम निदेशक समझा जाएगा ।

(2) निदेशक संस्थान के साथ शासी निकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(3) निदेशक, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

(4) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो उसे प्रत्येक संस्थान या प्रत्येक संस्थान के अध्यक्ष या शासी निकाय या शासी निकाय के सभापति द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(5) संस्थान, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जितने उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों और ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदनाम और उनकी श्रेणियों का अवधारण कर सकेगा ।

(6) संस्थान का निदेशक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य ममालों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

**13.** प्रत्येक संस्थान के उद्देश्य—

संस्थान के उद्देश्य  
।

(क) चुनिंदा विशेषज्ञताओं में उच्चतम स्तर पर उन्नत और विशेषिकृत चिकित्सा प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और समग्र स्वास्थ्य या देखरेख के लिए प्रादेशिक रेफरेल केन्द्र के रूप में सेवा प्रदान करने और निवारक, समुन्नित, नैदानिक, सुधारकारी पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए संपूर्ण क्षेत्र में प्रबंध परामर्श का उपबंध करना होगा ;

(ख) व्यवहारिक व्यवसान्मुख प्रशिक्षण का उपबंध करना जिसके अंतर्गत क्षेत्र के राज्य या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्रायोजित चिकित्सा और पराचिकित्सा कार्मिकों की चुनिंदा विशेषताओं में पुनःचर्यापाठ्यक्रम सम्मिलित है ;

(ग) प्रशिक्षण में प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना तथा स्वास्थ्य या देखरेख के प्रारंभिक, गौण और उच्चतर स्तरों पर कुशल जनशक्ति की अपेक्षित श्रेणियों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराना ।

14. धारा 13 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संस्थान,—

(क) आधुनिक औषध विज्ञान और अन्य संबद्ध विज्ञानों में, जिनके अंतर्गत भौतिक और जैविक विज्ञान भी है, पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर अध्यापन के लिए उपबंध कर सकेगा ;

(ख) ऐसे विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए प्रसुविधाओं का उपबंध कर सकेगा ;

(ग) मानविकी के शिक्षण हेतु उपबंध कर सकेगा ;

(घ) आयुर्विज्ञान शिक्षा, पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर, दोनों, की नई पद्धतियों में, ऐसी शिक्षा का समाधानप्रद स्तर प्राप्त करने के लिए, प्रयोगों का संचालन कर सकेगा ;

(ङ) विनियमों द्वारा पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर, दोनों, अध्ययनों के लिए पाठ्यक्रम और विशेष पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट कर सकेगा ;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित की स्थापना कर सकेगा और उन्हें चला सकेगा :—

(i) विभिन्न विषयों में आयुर्विज्ञान शिक्षा में पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ एक या अधिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जिसके अंतर्गत कर्मचारिवृंद और आवश्यक साज-सामान से पर्याप्त रूप से सुसज्जित निवारक और सामाजिक आयुर्विज्ञान विभाग भी है, विभिन्न विभागों वाली एक या अधिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ;

(ii) साज-सामान से सुसज्जित एक या अधिक अस्पताल ;

(iii) ऐसी दंत चिकित्सा का व्यवसाय करने के लिए और विद्यार्थियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण, जो आवश्यक हो, के लिए ऐसी सांस्थानिक प्रसुविधाओं के साथ एक दंत महाविद्यालय ;

(iv) नर्सों के प्रशिक्षण के लिए कर्मचारिवृंद और आवश्यक साज-सामान से पर्याप्त रूप से सुसज्जित नर्सिंग महाविद्यालय ;

(v) ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य संगठन, जो संस्थान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा नर्सिंग छात्रों के फील्ड प्रशिक्षण और सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अनुसंधान के लिए केंद्रों के रूप में होंगे ; और

(vi) विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कर्मकारों जैसे कि भौतिक चिकित्साविद्, व्यवसाय चिकित्सक, भेषजज्ञ, ओषधि विश्लेषक और विभिन्न प्रकार के चिकित्सा तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए अन्य संस्थाएं ;

(छ) भारत में विभिन्न आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकेगा ;

(ज) पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा में परीक्षाएं आयोजित कर सकेगा और ऐसी डिग्रियां, डिप्लोमे और अन्य विद्या संबंधी सम्मान तथा उपाधियां प्रदान कर सकेगा, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए ;



(झ) विनियमों के अनुसार आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों के रूप में और अन्य प्रकार के पदों पर व्यक्तियों को संस्थित और नियुक्त कर सकेगा ;

(ञ) सरकार से अनुदान और, यथास्थिति, दाताओं, हिताधिकारियों, वसीयतकर्ताओं या अंतरकों से जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की, संपत्तियों के दान, संदान, उपकृतियां, वसीयतों और अंतरण प्राप्त कर सकेगा ;

(ट) संस्थान की या उसमें निहित ऐसी किसी संपत्ति के संबंध में ऐसी किसी रीति में व्यवहार कर सकेगा, जो धारा 13 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का संवर्धन करने के लिए आवश्यक समझी जाती है ;

(ठ) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग कर सकेगा और उन्हें प्राप्त कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ड) निर्धन रोगियों को उसी रीति में निःशुल्क उपचार का उपबंध कर सकेगा जैसा केंद्रीय सरकार के आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा उपबंधित किया जा रहा है ;

(ढ) अपने कर्मचारिवृंद के लिए क्वार्टरों का निर्माण कर सकेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार, जो इस निमित्त बनाए जाएं, कर्मचारिवृंद को ऐसे क्वार्टर आबंटित कर सकेगा;

(ण) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से संस्थान की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकेगा ;

(त) ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें कर सकेगा, जो धारा 13 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों ।

**15.** केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक संस्थान को, ऐसी धनराशियों का और ऐसी रीति में, जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए उस सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाएं, संदाय कर सकेगी ।

संस्थान को संदाय ।

**16.(1)** प्रत्येक संस्थान एक निधि रखेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

संस्थान की निधि ।

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई सभी धनराशियां ;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीसों और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के रूप में प्राप्त सभी धनराशियां ; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान संस्थानों द्वारा अनुरक्षित प्रत्येक संस्थान की निधियों को इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित की गई निधि समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान की निधि में जमा की गई सभी धनराशियां ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति में विनिहित की जाएंगी, जो संस्थान, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चित करे ।

(3) प्रत्येक संस्थान की निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों की, जिसके अंतर्गत धारा 14 के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं, पूर्ति के मद्दे किया जाएगा।

**17.** प्रत्येक संस्थान, प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर ठीक आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत संबंधित संस्थान की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए एक बजट तैयार करेगा और उसकी उतनी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा, जितनी विहित की जाएं।

संस्थान का बजट ।

**18.(1)** प्रत्येक संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, और ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो उस सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएं, तैयार करेगा।

लेखा और संपरीक्षा ।

(2) प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और उस संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय संबंधित संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और प्रत्येक संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने तथा संस्थान और उसके द्वारा स्थापित तथा चलाई जा रही संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्रत्येक संस्थान के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट ।

**19.** प्रत्येक संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान के अपने कार्यकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट को ऐसे प्ररूप में और उस तारीख को या उसके पूर्व, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा इस रिपोर्ट की एक प्रति, उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

पेंशन और भविष्य निधियां ।

**20.(1)** प्रत्येक संस्थान अपने अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी पेंशन और भविष्य निधियों का गठन करेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान संस्थानों द्वारा गठित पेंशन और भविष्य-निधि को इस अधिनियम के अधीन पेंशन और भविष्य निधि समझा जाएगा।

(2) जहां किसी ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध उस निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो कि वह कोई सरकारी भविष्य निधि हो।

1925 का 19

संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणन ।

कार्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों, आदि कारण अविधिमान्य न होना ।

संस्थान द्वारा आयुर्विज्ञान डिग्रियों, डिप्लोमाओं, आदि का दिया जाना ।

2019 का 30

1948 का 16

1947 का 48

1956 का 3

21. प्रत्येक संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय निदेशक या ऐसे संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और सभी अन्य लिखतों को निदेशक या उन अधिकारियों के, जो उस संस्थान द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

22. प्रत्येक संस्थान, शासी निकाय या किसी स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही को केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ऐसे कि संस्थान, शासी निकाय या ऐसी स्थायी या तदर्थ समिति में कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

23. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्थान को इस अधिनियम के अधीन आयुर्विज्ञान, दंत चिकित्सा और नर्सिंग डिग्रियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी सम्मान तथा उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होगी ।

24. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019, दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 और भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा प्रदान की गई आयुर्विज्ञान डिग्रियां, डिप्लोमा और दंत चिकित्सा डिग्रियां, नर्सिंग डिग्रियां पूर्वोक्त अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और संबंधित अधिनियमों की अनुसूचियों में सम्मिलित की गई समझी जाएंगी ।

25. प्रत्येक संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर जारी किए जाएं ।

26. यदि इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में या उसके संबंध में संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

27. प्रत्येक संस्थान, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य सूचना प्रस्तुत करेगा, जिनकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

28. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, सभी संस्थानों से परामर्श के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (छ) और खंड (ज) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (7) के अधीन सदस्यों के बीच रिक्तियां भरने की रीति ;

(ग) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन संस्थान के अध्यक्ष शक्तियां और कृत्य ;

(घ) धारा 9 के अधीन संस्थान के अध्यक्ष और सदस्यों (संसद के निर्वाचित सदस्यों

संस्थान द्वारा प्रदान की गई आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण ।

मतभेदों का समाधान ।

विवरणियां और सूचना ।

नियम बनाने की शक्ति ।

के सिवाय) को संदत्त किए जाने वाले भत्ते तथा संस्थान द्वारा वहन किए जाने वाले भत्तों का समानुपात ;

(ड) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन संस्थान द्वारा स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन का नियंत्रण और निर्बंधन ;

(च) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की रीति ;

(छ) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, जिनकी संस्थान द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी और ऐसी नियुक्ति की रीति, उनकी शक्तियां और कृत्य तथा उनके पदनाम और ग्रेड ;

(ज) धारा 17 के अधीन वह प्ररूप और समय जिसमें संस्थान द्वारा बजट और रिपोर्टें तैयार की जाएंगी तथा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाने वाली उसकी प्रतियों की संख्या ;

(झ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप और समय जिसमें वार्षिक लेखा विवरण, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी है, तैयार किया जाएगा ;

(ञ) वह प्ररूप जिसमें और तारीख जिससे पूर्व धारा 19 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रस्तुत की जाएगी ;

(ट) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

**29.** (1) प्रत्येक संस्थान, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में, निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—

(क) धारा 10 के अधीन संस्थान की पहली बैठक से भिन्न बैठकें बुलाना और आयोजित करना, वह समय और स्थान, जहां ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी, उन बैठकों में कारबार का संचालन तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या ;

(ख) धारा 11 के अधीन शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों का गठन करने की रीति, शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों में सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति, शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते, शासी निकाय और स्थायी तथा तदर्थ समितियों द्वारा उनके कारबार के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, उनकी शक्तियों का प्रयोग और उनके कृत्यों का निर्वहन ;

(ग) धारा 12 के अधीन संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य तथा निदेशक तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन और भत्ते ;

(घ) धारा 14 के अधीन संस्थान में पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के

पाठ्यक्रमों और विशेष पाठ्यक्रम ; डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक उपाधियां और पदवियां, जो संस्थान द्वारा अनुदत्त की जा सकती है ; आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापकों और अन्य पद, जिन्हें संस्थित किया जा सकेगा तथा व्यक्ति, जिनको संस्थान के ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापकों और अन्य पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा ; फीस और अन्य प्रभार, जिनकी संस्थान द्वारा मांग की जा सकेगी और प्राप्त किए जा सकेंगे तथा कर्मचारिवृंद के लिए क्वार्टरों का संनिर्माण तथा संस्थान के कर्मचारिवृंद को ऐसे क्वार्टरों का आबंटन ;

(ड) वह रीति, जिसमें और वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन और भविष्य-निधि का गठन किया जा सकेगा ;

(च) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके लिए विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंध किया जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन पहला विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए किन्हीं विनियमों को संस्थान द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तित या विखंडित किया जा सकेगा :

परंतु प्रत्येक संस्थान इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर विनियम बनाएगा ।

**30.** इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

**31.** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

## अनुसूची

[धारा 3 (क) और धारा 4(2) देखें]

[इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थानों की सूची]

क्रम संख्या	विद्यमान संस्थानों के नाम	इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थानों के नाम और अवस्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर प्रादेशिक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान, शिलांग, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।	इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर प्रादेशिक स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान, शिलांग ।
2.	एनएएमओ, आयुर्विज्ञान विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, सिलवासा, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय ।	एनएएमओ, आयुर्विज्ञान विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, सिलवासा ।